M-PANCHAYAT

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

कार्यालय का नाम :– जिला पंचायत नजारत, मधुबनी

निरीक्षण की तिथि :– 16 / 06 / 2001

निरीक्षी पदा० का नाम :– डा० बी० राजेन्दर

भा० प्र० से०

जिला पदाधिकारी, मधुबनी

डा०बी०राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 16-6-2001 को जिला पंचायत नजारत का किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

दिनांक 17-3-2001 को आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा जिला पंचायत प्रशाखा के निरीक्षण के क्रम में दिये गये निदेश के आलोक में दिनांक 16-6-2001 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला पंचायत प्रशाखा के नजारत का विस्तृत निरीक्षण किया गया ।

1- परिचय :

जिला पंचायत प्रशाखा मधुबनी समाहरणालय के भूतल स्थित कमरा नं०-33 में अवस्थित है । यह कमरा छोटा है जिससे कार्यों के सम्पादन में कठिनाई हो रही है । जिला पंचायत नजारत जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में जिला सामान्य नजारत से अलग होकर दिनांक 6-1-2001 से स्वतंत्र रूप से कार्यरत है ।

2- प्रभार :

इस प्रशाखा के प्रभार में निम्नांकित पदाधिकारी उनके नाम के सामने अंकित तिथियों को प्रभार में रहे हैं :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अवधि
1-	श्री रघुनाथ राम, उप समाहर्त्ता, मधुबनी	वर्ष 1993 से 22-3-96 तक
2-	" धर्मदेव प्रसाद सिंह, जिला पंचायतराज पदाधिकारी, मधुबनी	22-3-96 से 4-12-99 तक
3-	" एस० एन० दिवाकर, उप समाहर्त्ता, मधुबनी	4-12-99 से 22-1-2001 तक
4-	" रमेश मिश्र, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी	23-1-2001 से अद्यतन

श्री महेश प्रसाद सिन्हा, अपर समाहर्त्ता, भू-हदबन्दी, इस प्रशाखा के वरीय प्रभारी पदाधिकारी के प्रभार में हैं ।

मो० राहत हुसैन, कनीय प्रवर कोटि सहायक इस प्रशाखा में प्रधान सहायक-सह-लेखापाल के रूप में दिनांक 7-10-94 से कार्यरत हैं । श्री अकील अहमद, सहायक दिनांक 6-1-2001 से नाजिर के रूप में कार्यरत हैं ।

लगातार...2

3- स्थापना :

इस प्रशाखा में निम्नांकित कर्मचारी उनके नाम के सामने अंकित तिथि से कार्यरत हैं :-

1- मो0 राहत हुसैन, कनीय प्रवर कोटि सहायक	7-4-94 से
2- मो0 अकील अहमद, सहायक	6-1-2001 से
3- श्री योगेन्द्र मोची, सहायक	1-4-95 से
4- " विजय कुमार सिंह, सहायक	जून 2000 से
5- " भोला नाथ झा, अनुसेवक	1-6-95 से
6- " मोतीउर रहमान, चालक {निदेशालय स्तर से}	10-9-85 से
7- " राम नाथ ठाकुर, अनुसेवक	4-9-79 से

स्वीकृत बल के अनुसार सभी कोटि के कर्मचारी पदस्थापित हैं ।

4- पूर्व निरीक्षण :

इस प्रशाखा का निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा उनके नाम के सामने अंकित तिथियों को निरीक्षण किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम/पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टि0 प्राप्ति की ति0	अनुपालन की तिथि
1-	सुश्री अमिता पॉल, आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	17-3-2001	अप्राप्त	-
2-	श्री जयलाल पासवान, कार्यालय अधीक्षक, मधुबनी	9-1-1997	25-1-1997	31-5-1997
3-	मो0 राहत हुसैन, प्रधान सहायक, जिला पंचायत	16-6-1999	16-6-1999	16-6-1999

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला पंचायतीराज पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा अभीतक एक बार भी अपने प्रशाखा का निरीक्षण नहीं किया गया है, जो चिन्ता का विषय है । बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के

लगातार ...3

नियम 52 एवं 80 के अनुसार प्रत्येक नियंत्री (निकासी एवं व्ययन) पदाधिकारी को अपने प्रशाखा का वर्ष में दो बार निरीक्षण रिना है । जिला पंचायतीराज पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में दो बार अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे । प्रधान सहायक, जिला पंचायत द्वारा दिनांक 16-6-99 को किये गये निरीक्षण का अनुपालन उसी दिन कर दिया गया प्रतिवेदित किया गया है, जो विरोधाभाषी है । जिला पंचायतीराज पदाधिकारी इसकी समीक्षाकर एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

5- रोकड़ बही :

बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 की कंडिका-1 के अनुसार सामान्य रोकड़ बही का संधारण टी0सी0फार्म-6 में किया गया है । 2515 मुख्य शीर्ष (क) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम लघु शीर्ष 001-निदेशन और प्रशासन उप शीर्ष 003 जिला पंचायत स्थापना के अन्तर्गत चार सहायक रोकड़ पंजी संधारित है । इसके अतिरिक्त शीर्ष 2071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्त लाभ (1) 0-असैनिक 101-वार्धक्य एवं सेवा निवृति भत्ते, 104-उपादान, 805-पारिवारिक पेंशन उक्त दो शीर्ष के अन्तर्गत पाँच सहायक रोकड़ पंजी संधारित है । सहायक रोकड़ पंजीवार विवरण दिनांक 15-6-2001 के अवशेष राशि का निम्नांकित है :-

1- 2515 - पंचायत निर्वाचन	1,09,41,728=55
2- 2515 - पंचायत स्थापना	18,458=00
3- 2515 - ग्राम रक्षा दल	73,325=00
4- विविध	67,704=00
5- 2071 पेंशन	16,025=00
	कुल: 1,11,17,240=55

सहायक रोकड़ वही का अवशेष विवरण निम्न प्रकार है :-

लगातार...4

(क) शीर्ष-2515-पंचायत निर्वाचन

आवंटन कहाँ से प्राप्त हुआ	पत्रांक / दिनांक	मद		
		कार्यालय व्यय	यात्रा भत्ता	कुल
सचिव, ग्रामीण वि0 पंचायतराज निदेशालय	64 1-12-2000	78,80,000/-	-	78,80,000/-
	78आ॰ 31-12-2000	-	1,37,55,000/-	1,37,55,000/-
	09आ॰ 3-2-2001	39,30,000/-	-	39,30,000/-
	08आ॰ 3-2-2001	-	19,65,000/-	19,65,000/-
	25आ॰ 25-3-2001	40,13,675/-	-	40,13,675/-
	24आ॰ 26-3-2001	-	03,48,726/-	03,48,726/-
	कुल :-	1,58,23,675/-	1,60,68,726/-	3,18,92,401/-

जिला पंचायतीराज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्राप्त आवंटन में से सभी प्रखण्डों एवं अनुमण्डलों को यात्रा-भत्ता मद में 1,21,83,000=00 एवं कार्यालय व्यय मद में 45,93,024=00 रुपये कुल 1,67,76,024=00 रुपये उपावंटित किया गया है । शेष 1,51,16,377=00 रुपये का व्यय सक्षम स्वीकृति के पश्चात् प्रपत्रों की छपाई, मतदाता सूची के मुद्रण, मतदान केन्द्रों की सूची का मुद्रण, ईंधन इत्यादि मदों में किया गया है ।

दिनांक 15-6-2001 को अवशेष राशि 1,09,41,728=55 पैसा है जिसमें से यात्रा-भत्ता मद में 38,82,810=00 एवं कार्यालय व्यय मद में 70,58,918=55 पैसे (जिसके विरुद्ध यात्रा-भत्ता विपत्र मो0 55,147=00 का स्वीकृति हेतु संचिका उपस्थापित है) है । इसी प्रकार यात्रा-भत्ता मद में 4,96,471=00 एवं कार्यालय व्यय मद में 5,08,343=80 पैसे कुल 10,04,814=80 पैसा अस्थाई अग्रिम स्वरूप दिया गया है जो अवशेष राशि में सन्निहित है ।

(ख) 2515-पंचायत स्थापना :- अंतशेष राशि 18,458=00

अवशेष राशि मो0 18,458=00 रुपया में से 477=00 रु0 वदी, 5981=00रु0 दो हॉट-नॉट एवं एक स्टूल खरीदने की स्वीकृति दी गई है परन्तु गोदरेज कम्पनी द्वारा सामग्री उपलब्ध कराने के लिए समय की माँग की गई है ।

लगातार...5

शेष 12.000/-रू० पंचायत कार्यालय के आकस्मिक व्यय(जीप का ईंधन एवं मरम्मति, लेखन सामग्री इत्यादि) के लिए निकासी की गई है, जो व्यय हेतु अवशेष है ।

(ग) 2515-ग्राम रक्षा दल

इस शीर्ष में कुल 73,325=00 रुपये मात्र शेष है जिसमें 6,125/-रू० दलपति के द्वारा भुगतान प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण अवशेष है एवं मो० 67,200=00 रू० वित्तीय वर्ष 2000-2001 में प्राप्त आवंटन से दैनन्दनी प्राप्त होने की प्रत्याशा में निकासी की गई है । दैनिन्दनी भेजने हेतु सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को बेतार संवाद द्वारा स्मारित किया गया है ।

(घ) 2515(विविध)

यह राशि वर्ष 1995 में पंचायत निर्वाचन हेतु निदेशालय द्वारा आपूरित विभिन्न पदों के लिए मतपत्रों को आदेशानुसार लुगदी बनाकर की गई बिक्री से प्राप्त हुई है । इसमें मतपत्रों की बिक्री से प्राप्त राशि मो० 57,704=00 रुपये है एवं 10,000/-रू० निविदाता से जमानत के रूप में प्राप्त हुआ है जिसे वापस करना है । 57,704=00 रू० जमा करने हेतु निदेशालय से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है । जिला पंचायतीराज पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस हेतु निदेशालय से आवश्यक मार्ग-दर्शन की माँग अविलम्ब करें एवं उचित शीर्ष में राशि जमाकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

(ङ) 2071-पेंशन

मो० 16,025=00 रुपये निकासी कर रखी गई है किन्तु पेंशनर के उपस्थित नहीं होने कारण भुगतान नहीं किया गया है ।

6- अंतशेष राशि का रोकड़ अवशेष का विवरण निम्न प्रकार है :-

1- इलाहाबाद बैंक चालू खाता संख्या-एस०सी० 585	1,08,427=75
2- इलाहाबाद बैंक बचत खाता संख्या 5023/28	30,05,726=00

लगातार...6

3- भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता सं0-01100050185	69,35,131=45
4- डबल लॉक	63,000=00
5- सिंगल लॉक	140=55
6- अस्थायी अग्रिम	10,04,814=80
कुल:-	1,11,17,240=55

7-अस्थायी अग्रिम

कुल 10,04,814=80 पैसे अस्थायी अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया है । जिला पंचायतीराज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अग्रिम राशि के समायोजन हेतु ज्ञापांक 1073, दिनांक 7-5-2001 द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है जिसके अनुपालन में विपत्र प्राप्त हो रहे हैं एवं समायोजन की कार्रवाई की जा रही है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर से अग्रिम लेनेवाले पदाधिकारी/कर्मचारियों को नोटिस निर्गत करें कि वे एक सप्ताह के अन्दर ली गई अग्रिम राशि के समतुल्य अभिश्रव/नगद राशि जमा करें अन्यथा उनके वेतन से राशि की कटौती कर ली जायेगी । साथ ही जिला मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को नोटिस निर्गत करें कि दिनांक 21-6-2001 को 3-00 बजे अपराह्न में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित बैठक में उपस्थित हों ताकि अग्रिम के समायोजन हेतु निदेश दिया जा सके / उत्प्रेरित किया जा सके ।

8-अभिश्रव

आवंटन के अभाव में विचलन कर कोई अभिश्रव पारित नहीं किया गया है । सभी राशि आवंटन के विरुद्ध ही व्यय की गई है ।

लगातार ...7

जिला पंचायतराज पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि पंचायत निर्वाचन को सम्पन्न कराने हेतु जो राशि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को दी गई है, उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्तकर एक माह के अन्दर पंचायतराज निदेशालय को भेजें। साथ ही सभी बकायों के भुगतान एवं अग्रिमों के समायोजन के पश्चात् जो राशि अवशेष बच जाती है, उसे उचित शीर्ष के अन्तर्गत कोषागार में जमाकर तत्संबंधी सूचना निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करें।

9- सामान्य

लेखा का संधारण अच्छी ढंग से किया गया है एवं संतोषजनक है। जिला पंचायत प्रशाखा का विस्तृत निरीक्षण अगले माह किया जायगा।

O/C Rajendra 23.7.2001
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

ज्ञापांक संख्या 1656 /जिला पंचायत मधुबनी, दिनांक 26 जुलाई, 2001 ई0।

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार सरकार की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सचिव, ग्रामीण विकास विभाग(पंचायतीराज निदेशालय), बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय, बिहार पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - जिला पंचायतीराज पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

O/C Rajendra 23.7.2001
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।